

(प्रार्थी का पूरा नाम व पता)

रिपोर्ट पदवासी महसूल आदेश  
के अन्तर्गत में नाम की जाती है।

1188  
10/11/20

ग्राम - रघुनाथपुरा के खता क्र 253 में प्रार्थी का नाम शुभकरन  
शुभ चौकल गलत दर्ज है जिसे ध्यान पर गलत दर्जों  
के आधार पर शुभकरन सिंह को चौकल शुद्ध किया जाना  
उचित है।

क्रमांक 1020/

10/11/20  
10000-100

10/11/20

10/11/20

गुप्त को उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को वास्तु पालना है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन  
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। प्रत्येक का नाम दुरुस्त किया जाने की सुझावों की जाती है / नहीं  
की जाती है।

~~इसका किया जाना उचित है।~~

10/11/20

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं न्यायालय उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

दिनांक - 10/11/20

प्रार्थी ने "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की है कि खता नम्बरों साक्षी एवं तहसीलदार (भू0अ0)  
उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी के अधिनियम 1956 के धारा 136 के अनुसार न  
निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाए तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को राजस्व  
रिकार्ड में अन्तर्गत आदेश के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रघुनाथपुरा	2075-78	253	शुभकरन शु. चौकल	शुभकरन सिंह शु. चौकल

नोट - शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1000-100  
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 10/11/20

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को वास्तु पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी